भारत सरकार

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

राज्य सभा

तारांकित प्रश्न सं. *267

जिसका उत्तर 12.08.2026 को दिया जाना है

आंध्र प्रदेश में सीआरआईएफ

*267 श्री येरेम वेंकट सुब्बा रेड्डी:

क्या सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) पिछले तीन वर्षों के दौरान केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के अंतर्गत आंध्र प्रदेश को सड़कों, पुलों और सड़क उपरि पुलों/भूमिगत पुलों के लिए संस्वीकृत और जारी की गई कुल निधि का प्रयोजन-वार ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या मंत्रालय ने आंध्र प्रदेश में सड़क संपर्क में क्षेत्रीय असमानताओं का आकलन किया है और अनंतपुर, कुर्नूल, वाईएसआर कड़पा और नंदयाल के लिए राष्ट्रीय राजमार्ग हेतु कोई विशेष आवंटन किया है; और

(ग) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आंध्र प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्गों पर हुई मौतों की संख्या कितनी है और पिछले दो वर्षों में 'ब्लैक स्पॉट' सुधार कार्यक्रम की स्थिति और उसके वित्तपोषण का ब्यौरा क्या है?

उत्तर

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्री

(श्री नितिन जयराम गडकरी)

(क) से (ग) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

'आंध्र प्रदेश में सीआरआईएफ' के संबंध में श्री येर्रम वेंकट सुब्बा रेड्डी के द्वारा दिनांक 12.08.2026 को पूछे गए राज्य सभा तारांकित प्रश्न संख्या *267 के भाग (क) से (ग) के उत्तर में उल्लिखित विवरण

(क) सरकार, केंद्रीय सड़क एवं अवसंरचना निधि (सीआरआईएफ) के तहत संबंधित राज्य सरकारों द्वारा प्राथमिकताकृत परियोजनाओं की सूची को दो योजनाओं, अर्थात् सीआरआईएफ (राज्य सड़कें) और सीआरआईएफ (सेतु बंधन) के माध्यम से अनुमोदित करती है। सेतु बंधन के तहत मुख्य रूप से सड़क उपरिपुल (आरओबी)/सड़क अधओगामी पुल (आरयूबी) से संबंधित कार्यों को स्वीकृत किया जाता है। विगत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में स्वीकृत और जारी की गई निधियों का विवरण इस प्रकार है:

सीआरआईएफ (सड़कें)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**आवंटित/उपार्जित निधियां (करोड़ रुपये में)**	**जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)**
1	2023-24	354.97	485.48
2	2024-25	354.88	302.53
3	2025-26	382.68	435.03

सीआरआईएफ (सेतु बंधन)

क्र.सं.	**वित्तीय वर्ष**	**आवंटित/उपार्जित निधियां (करोड़ रुपये में)**	**जारी की गई राशि (करोड़ रुपये में)**
1	2023-24	65.13	शून्य
2	2024-25	65.12	20.03
3	2025-26	73.40	73.40

(ख) राष्ट्रीय राजमार्गों का विकास एक सतत् प्रक्रिया है। सरकार को, आंध्र प्रदेश सहित विभिन्न राज्य सरकारों से राष्ट्रीय राजमार्गों की घोषणा/उन्नयन/विकास के लिए प्रस्ताव प्राप्त होते रहते हैं। परियोजना कार्यान्वयन और निवेश का निर्णय विस्तृत परियोजना रिपोर्ट (डीपीआर) के परिणाम, संपर्कता (कनेक्टिविटी) की आवश्यकता, परस्पर प्राथमिकता और पीएम गति शक्ति राष्ट्रीय मास्टर प्लान के साथ

तालमेल के आधार पर लिया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्ग विकास के लिए निधियों का आवंटन क्षेत्रवार नहीं अपितु राज्यवार किया जाता है। तदनुसार, अनंतपुर, कुरनूल, वाईएसआर कडप्पा और नंदयाल जिलों के लिए कोई जिलावार आवंटन नहीं किया गया है। तथापि, इन जिलों में लगभग 9533 करोड़ रुपये की लागत से कुल 1083 किमी लंबाई की 34 परियोजनाएं पूरी हो चुकी हैं और लगभग 17,807 करोड़ रुपये की लागत से कुल 949 किमी लंबाई की 33 परियोजनाएं कार्यान्वयन के अधीन हैं।

(ग) वित्तीय वर्ष 2024-25 के दौरान आंध्र प्रदेश के राष्ट्रीय राजमार्गों पर 3286 लोगों की मृत्यु हुई है। सड़क सुरक्षा/दुर्घटना बाहुल्य स्थलों (ब्लैक स्पॉट) के सुधार कार्यों को उच्च प्राथमिकता दी जाती है, और सभी चल रहे राष्ट्रीय राजमार्ग विकास और रखरखाव कार्यों के अंतर्गत निर्धारित मानकों और परियोजना आवश्यकताओं के अनुसार उचित सड़क सुरक्षा उपायों को शामिल और कार्यान्वित किया जाता है। राष्ट्रीय राजमार्गों पर कुछ स्थानों को मौतों और गंभीर रूप से घायल करने वाली दुर्घटनाओं की कुछ निश्चित संख्या के आधार पर दुर्घटना बाहुल्य स्थलों (ब्लैक स्पॉट) के रूप में चिह्नित किया गया है। सरकार ने ऐसे ब्लैक स्पॉट पर तत्काल अल्पकालिक उपाय किए हैं, जिनमें सड़क चिह्नांकन, साइनेज, क्रेश बैरियर, रोड स्टड, सड़क सीमांकन (डिलीनिएटर), अनधिकृत मध्य मार्गों (मीडियन ओपनिंग्स) को बंद करना, यातायात नियंत्रण उपाय आदि शामिल हैं। स्थलीय (साइट) जांच के अनुसार स्थायी सुधार उपायों के रूप में ऐसे ब्लैक स्पॉट्स पर दीर्घकालिक उपाय भी किए जा रहे हैं, जिसमें सड़क ज्यामिति में सुधार, जंक्शन सुधार, सड़क का चौड़ीकरण, अंडरपास/ओवरपास का निर्माण आदि शामिल हैं।

विगत 2 वर्षों के दौरान, अल्पकालिक उपायों से 240 ब्लैक स्पॉट्स पर सुधार कार्य किए गए हैं और दीर्घकालिक उपायों से 43 ब्लैक स्पॉट्स को ठीक किया गया है।

*****